अतिमहत्वपूर्ण / सभी को मेल द्वारा भी

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 166 / 09 सा0प्र0 / 17 देहरादून, दिनांक 08 फरवरी, 2017

: कार्यालय ज्ञाप :

उत्तराखण्ड हिमालयी क्षेत्र होने के कारण आपदाग्रस्त राज्य है। जिसमें समय–समय पर बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प, बादल फटने, अतिवृष्टि आदि घटनाओं की अक्सर संभावना बनी रहती है। इस हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा आई0आर0एस0 (Incident Response System) लागू किया गया हैं, जो कि ऐसी किसी भी आपदा आने पर स्वतः सक्रिय हो जायेगा। इसका ~~प्रशिक्षण~~ राज्य स्तर में SEOC तथा जनपद स्तर में DEOC द्वारा नियंत्रण / संचालन किया जा रहा है। इसका प्रशिक्षण समस्त सम्बन्धित विभागों को दिया गया है तथा जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है।

अतः राज्य स्तर पर SEOC हेतु लोक निर्माण विभाग से श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त (मो0नं0–9412024432) तथा श्री राजेश शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून (मो0नं0–9634336272) को नामित किया जाता है जो कि ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर तत्काल (24X7 किसी भी समय में) SEOC को रिपोर्ट करेगें तथा IRS के अन्तर्गत तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी प्रत्येक क्षण की रिपोर्ट देगें। इसी प्रकार जनपद स्तर में भी अधीक्षण अभियन्ता अपने अधीनस्थ एक अधिशासी अभियन्ता को IRS हेतु नामित करेगें, जो कि जनपद में DEOC को रिपोर्ट करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

ह0/–
(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर–I (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, (सिविल / रा0मा0 / UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल / रा0मा0 / UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. श्री राजेश शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–I / II, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
9. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
10. प्रति स्वयं को।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग